

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का आपराधिक आवेदन (खण्ड पीठ) सं.104

वर्ष 2019 का थाना वाद संख्या 46, थाना महिला थाना, जिला-जहानाबाद से उद्भूत

=====

सुबीर कुमार @ छोटिया, पुत्र-सुधीर प्रसाद निवासी गाँव-पांडुई, थाना-पारस बीघा, जिला-
जेहानाबाद

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

हेडनोट

भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 376 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 धारा 4 एवं (2/1 (डी)) प्रथम सूचना प्रतिवेदन अपराध की तारीख का खुलासा नहीं करता है पौक्सों (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम को आकर्षित करने के लिए यह हमेशा अभियोजन पक्ष का बोझ है कि वह साबित करे कि पीडिता की उम्र 18 वर्ष से कम थी एवं वह एक बच्ची थी यद्यपि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि पीडिता नाबालिग थी, क्योंकि अपराध की तारीख को धारा (2) (1) (डी) के अर्थ के भीतर वह एक बच्ची थी ताकि पौक्सों अधिनियम को आकर्षित किया जा सके अतः पीडिता के साक्ष्य के अनुसार अधिनियम के तहत अपीलकर्ता को दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता साक्ष्य के अनुसार अपीलकर्ता को दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता साक्ष्य के अनुसार, अपीलकर्ता पीडिता को एक तालाब पर बरगर पेड के निकट उसके साथ गलत काम करने के लिए बुलाता था, लेकिन दोनों स्थान सार्वजनिक स्थान हैं पीडित की विशिष्ट स्वीकारोक्ति कि अपीलकर्ता उससे विवाह करने के लिए सहमत नहीं था, एवं अतः शिकायत दर्ज की गई इसलिए पीडिता का अपीलकर्ता के साथ उसकी सहमति से यौन संबंध था आरोपी के माता-पिता के बीच विवाद था डॉक्टर द्वारा डी.एन.ए. परीक्षण कराने के लिए विशिष्ट टिप्पणी के बावजूद अभियोजन पक्ष ने पीडिता के जन्ममें हुए बच्चे का डी.एन.ए. परीक्षण नहीं कराया ताकि आरोपी को अपराध के साथ जोड़ा जा सके अभियोजन साक्षी का साक्ष्य भरोसेमंद नहीं है एवं घटना की प्रक्रिया स्वयं संदेहास्पद है अभियोजन पक्ष पीडिता की उम्र 18 वर्ष से कम स्थापित करने में विफल रहा एवं यह साबित करने के लिए कि आरोपी ने पीडिता का बलात्कार किया था का कोई साक्ष्य नहीं है दोषसिद्धि का विवादित निर्णय एवं सजा का आदेश रद्द किया जाता है। (कंडिकाएँ 14 से 17 21, 25 एवं 29 से 32) (2005) 5 एस सी सी (2005) 5 एस सी सी 272 अखिल भारतीय प्रतिवेदक 2010 एस सी 979 भरोसा किया।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का आपराधिक आवेदन (खण्ड पीठ) नं.104

वर्ष 2019 का थाना वाद संख्या 46, थाना महिला थाना, जिला-जहानाबाद से उद्भूत

=====

सुबीर कुमार @ छोटिया, पुत्र-सुधीर प्रसाद निवासी गाँव-पांडुई, थाना-पारस बीघा, जिला-
जहानाबाद

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए:-

मैसर्स अजय कुमार ठाकुर,

आलोक कुमार आलोक

अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए:-

सुश्री शशि बाला वर्मा, सहायक लोक अभियोजक

कोरम: माननीय श्री चक्रधारी सरन सिंह, न्यायमूर्ति

और

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमति गुन्नू अनुपमा चक्रवर्ती

सीएवी निर्णय

(निर्णय: माननीय न्यायमूर्ति श्रीमति गुन्नू अनुपमा चक्रवर्ती)

दिनांक: 08-11-2023

यह आपराधिक अपील 2019 के जहानाबाद (महिला) थाना मामले संख्या 46 से उत्पन्न होने वाले 2019 के पॉक्सो मामले संख्या 50 में, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश VI-सह-विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, जहानाबाद द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय दिनांक 29.11.2021 और सजा के आदेश दिनांक 30.11.2021 के खिलाफ की गई है। उपरोक्त निर्णय और आदेश द्वारा, अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार सजा सुनाई गई है:

2022 का अप. अपील (खंड पीठ) सं.-104				
	धाराओं के तहत दोसिद्	सजा		
		कारावास	अर्थदण्ड (रु०)	अर्थदण्ड में चूकना
सुबीर कुमार उर्फ छोटिया	भारतीय दंड संहिता की 376	कठोर कारावास की सजा (जीवनदर्शन)	10,0000/-	एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा
	यौन अपराधो से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की 4	पूरे जीवन के लिए कठोर कारावास की सजा	10,000/-	एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा

सभी सजाआओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

2. चूंकि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 से संबंधित है, इसलिए हमारा विचार है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पीड़ित लड़की की पहचान की रक्षा के लिए फैसले में पीड़ित या पीड़ित के माता-पिता के नामों का खुलासा नहीं किया जाएगा।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री अजय कुमार ठाकुर और राज्य के विद्वान एपीपी सुश्री शशि बाला वर्मा को सुना है।

4. आपराधिक मामला पीड़ित की माँ, जो सूचना देने वाली (पीडब्लू 4) है, द्वारा एस. एच. ओ., महिला थाना जहानाबाद को दी गई लिखित जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें सूचना देने वाले ने विशेष रूप से कहा है कि पीड़ित की आयु लगभग 15 वर्ष थी और जानकारी को प्राथमिकता देने के समय वह गर्भवती थी। पीडब्लू 4/मुखबिर ने पीड़ित के शरीर में परिवर्तनों को देखा और पीड़ित साथ मिलान पर, वह यह जानी की अपीलकर्ता यानी उनके ग्राम के सुधीर कुमार उर्फ चोटिया ने पीड़ित को फुसलाया था, वह तालाब के पास और बरगद के पेड़ के नीचे पीड़ित के साथ गलत हरकतें करता था, जिसके लिए उसने लिखित आवेदन को प्राथमिकता दी थी।

5. रिपोर्ट के आधार पर, एस. एच. ओ., महिला थाना, जेहानाबाद ने अपीलार्थी के खिलाफ भा.द.वि. की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत कथितदंडनीय अपराध के लिए 2019 की जेहानाबाद (महिला) थाना मामला संख्या 46 दिनांक 20.7.2019 वाली प्राथमिकी दर्ज की।

6. जाँच के दौरान, जाँच अधिकारी ने भा.द.वि. की धारा 161 के तहत गवाहों का बयान दर्ज किया है, जिन्होंने भा.द.वि. की धारा 164 के तहत पीड़ित से पूछताछ भी की।

उसने पीड़िता को चिकित्सकीय जांच के लिए भी भेजा। जाँच पूरा होने पर और दस्तावेज़ प्राप्त करने के बाद, अपीलार्थी के खिलाफ उपरोक्त अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

7. निचली अदालत ने उपरोक्त धाराओं के लिए दिनांक 21.10.2019 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी के खिलाफ संज्ञान लिया और बाद में अपीलार्थी के खिलाफ भा.द.वि. की धारा 376 और 18.12.2019 को पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप बनाए गए, उन्हें पढ़ा और समझाया गया।

अभियुक्त ने खुद को निर्दोष बताया और विचारण का दावा किया

8. अपीलार्थी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों यानी पीडब्लू 1 पीड़ित स्वयं, पीडब्लू 2, पीड़ित की माँ (मुखबिर), पीडब्लू 3 और 4, सदर अस्पताल, जहानाबाद के चिकित्सा अधिकारी, पीडब्लू 5, जांच अधिकारी और पीडब्लू 6 पीड़ित के पिता से पूछताछ की है।

9. अभियोजन पक्ष के गवाह के मौखिक साक्ष्य के अलावा, अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य को भी रिकॉर्ड में लाया, यानी प्रदर्श 1 से 8 को अर्थात कॉलम संख्या। 1 और 2 और कॉलम नं. 5 लो. का मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श 1, अल्ट्रा सोनोग्राफिक रिपोर्ट प्रदर्श 2. सम्पूर्ण चिकित्सा रिपोर्ट प्रदर्श 3, सूचना देने वाले की लिखित याचिका पर मामला दर्ज करने के संबंध में प्रदर्श 4, औपचारिक प्र.सू.प्रति प्रदर्श 5, पीड़ित की चिकित्सीय जांच के लिए मार्ग प्रदर्श 6, अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रदर्श 7, पीड़ित का बयान अ.प्र.सं. की धारा 164 के तहत, प्रदर्श 8.

10. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने अपीलार्थी को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया था, जो गलत और विकृत है।

अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की के खिलाफ भेदक उत्पीड़न किया है।

11. अपीलार्थी के विद्वान वकील का यह भी विशिष्ट तर्क है कि पीड़ित और उसके माता-पिता के साक्ष्य से भी पता चलता है कि अपीलार्थी के खिलाफ मामला दायर किया गया था, क्योंकि अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी को प्रदर्श की धारा 53ए के तहत आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा जांच के अधीन नहीं किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि घटना की तारीख को पीड़ित की आयु 18 वर्ष से कम थी। इसके अलावा, उन्होंने डॉक्टरों के साक्ष्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिससे पता चलता है कि पीड़ित पर कोई आयु निर्धारण परीक्षण नहीं किया गया था, क्योंकि वह अपनी जांच के समय गर्भवती थी। अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि घटना की तारीख तक पीड़ित की आयु 18 वर्ष से कम थी और साक्ष्य से यह पता नहीं चलता है कि अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की के खिलाफ यौन अपराध किया है और इसलिए, 2019 के पॉक्सो मामले संख्या 50 में पारित निर्णय, जो जहानाबाद (महिला) थाना मामले संख्या 46 से उत्पन्न होता है, कायम रखने योग्य नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है।

12. दूसरी ओर बिहार राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभि. साक्षी 2 का साक्ष्य जो पीड़ित लड़की की माँ है, से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पीड़ित एक सुस्त दिमाग की थी, जो कम बोलता है और ज्यादा नहीं समझता है। पीड़ित/पीडब्लू 1 तालाब पर खेल रहा था, जब अपीलार्थी ने पीड़ित के साथ गलत काम किया। पीडब्लू 2 पीड़ित के शारीरिक परिवर्तनों/उपस्थिति को नोटिस करने में सक्षम था और

मिलान पर केवल घटना के बारे में पता चला और आगे तर्क दिया कि अ.प्र. सं. की धारा 164 में पीड़ित के बयान से पता चलता है कि अपीलार्थी ने यौन हमला किया, जिसमें मौखिक और शारीरिक प्रवेश शामिल है, इसलिए, निचली अदालत के फैसले की पुष्टि करने के लिए प्रार्थना की।

13. हमने निचली अदालत के विवादित फैसले का अध्ययन किया है और अभिलेखों का भी अध्ययन किया है। दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने पर, अपील में निर्धारण के लिए जो निर्धारण बिंदु उत्पन्न हुआ वह यह है कि: .

- (i) "क्या अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय कथित अपराध के लिए अपीलार्थी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया है?
- (ii) क्या विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को उपरोक्त अपराधों के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया है?
- (iii) इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न निर्धारित किया जाना है वह यह है कि क्या पीड़िता घटना की तारीख तक 18 वर्ष की आयु से कम थी, पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए?

14. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध की तारीख का खुलासा नहीं करती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ पीडब्लू. 2, यानी पीड़ित की मां के साक्ष्य से पता चलता है कि लिखित रिपोर्ट उनके द्वारा दी गई थी और उन्होंने पीड़ित के शरीर में शारीरिक परिवर्तनों को देखा था। एफ. आई. आर. में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि पीड़ित की आयु 15 वर्ष थी और वह 20.07.2019 को गर्भवती थी। हालाँकि, पी. डब्ल्यू. 1, जो पीड़ित है, ने गवाही दी कि 22 फरवरी 2021 को उसकी आयु

16 वर्ष थी। इसके अलावा पीडब्लू. 5/आई. ओ. साक्ष्य से पता चलता है कि उसने पीड़ित लड़की की मां से पीडब्लू. 2 की लिखित रिपोर्ट प्राप्त की और मामला दर्ज किया जो कि प्रदर्शनी-पी4 है। पीडब्लू 5 ने घटना की तारीख तक पीड़ित की उम्र के बारे में बात नहीं की। जाँच अधिकारी यह प्रस्तुत करने के लिए कोई चिकित्सा साक्ष्य या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत विफल रहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज प्रस्तुत की तारीख तक पीड़ित की आयु 18 वर्ष से कम थी। पी. डब्ल्यू. 6., जो अभियुक्त का पिता है, उसने भी पीड़ित की उम्र के बारे में नहीं बताया।

15. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बचाने के उद्देश्य से 19.06.2012 को पॉक्सो अधिनियम 2012 लागू हुआ था। और ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करना था। अधिनियम यह भी निर्धारित करता है कि बच्चे के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी निकटता और गोपनीयता के अधिकार की हर व्यक्ति द्वारा हर तरह से रक्षा और सम्मान किया जाए।

16. उक्त अधिनियम को आकर्षित करने के लिए, यह साबित करने का बोझ हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है कि पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा है। यह आपराधिक कानून का मूल सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करना होगा और तब तक आरोपी को निर्दोष माना जाएगा। लेकिन जहां तक पॉक्सो अधिनियम का संबंध है, यह स्थापित करने की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है कि वह पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 को देखते हुए निर्दोष है जो एक वैधानिक धारणा है।

17. हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि घटना की तारीख तक पीड़ित नाबालिग थी और पॉक्सो अधिनियम को आकर्षित करने

के लिए पीड़ित पॉक्सो अधिनियम की धारा (2) (1) (डी) के अर्थ के भीतर एक बच्चा था। इसलिए, अपीलार्थी को विशेष अधिनियम, यानी पॉक्सो अधिनियम और पटना उच्च न्यायालय सी. आर. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोसिद्धता एवं सजा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत टिकाऊ नहीं है और इसे अलग रखा जा सकता है।

18. इसके अलावा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध को साबित करने में चिकित्सा साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पी. डब्ल्यू. एस. 3 और 4 का साक्ष्य जो डॉक्टर हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए। पी. डब्ल्यू. 3 एक महिला डॉक्टर है अर्थात् डॉ. रेणु सिंह और पी. डब्ल्यू. 4, डॉ. विनोद कुमार सिंह सदर अस्पताल, जहानाबाद के अधीक्षक के आदेश से गठित मेडिकल बोर्ड के सदस्य हैं, ताकि पीड़ित की जांच की जा सके। पीड़ित की जाँच बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स द्वारा 20.07.2019 को 8.00 बजे शाम में की गई थी: डॉक्टरों द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष दिए गए हैं:

(स) बाहरी चोट-मौजूद नहीं है।

(बी) अप्रत्यक्ष यौन प्रकार-वर्तमान/विकसित

(सी) हाइमेन टूट गया

(डी) गुप्त भाग में कोई बाहरी तत्व मिला

(ई) पीड़ित का यौन संपर्क था।

(एफ) गर्भावस्था परीक्षण नहीं किया गया।

पीड़ित की अल्ट्रासोनोग्राफी की सलाह दी गई।

सदर अस्पताल जहानाबाद में की गई अल्ट्रासोनोग्राफी के अनुसार।

(जी) सेफालिक प्रस्तुति और एकल जीवित भ्रूण अनुदैर्घ्य होना गर्भावस्था की आयु 27 सप्ताह और तिथियों के अनुरूप 4 दिन है

(एच) भ्रूण का अनुमानित वजन-1095 ग्राम

डॉ. बी.के.झा द्वारा दी गई योनि स्वैब रिपोर्ट के अनुसार,

(i) शुक्राणु-नहीं मिला,

(ii) एपिथेलियल कोशिका-कुछ मौजूद

(iii) डब्ल्यू. बी. सी.-कोई नहीं

(iv) आर. बी. सी.-कोई नहीं

19. उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, पीड़ित का यौन संपर्क था और वह 27 सप्ताह और 4 दिनों की गर्भवती थी। पी. डब्ल्यू. 3 द्वारा आगे यह पुष्टि की गई है कि यह निर्धारित करने के लिए डी. एन. ए. परीक्षण आवश्यक है कि पीड़ित किसके साथ गर्भवती हुई थी।

20. पी. डब्ल्यू. 4, डॉ. बिनोद कुमार के साक्ष्य से पता चलता है कि आयु निर्धारण परीक्षण नहीं किया जा सका, क्योंकि पीड़ित गर्भवती थी। चिकित्सा विवरणों को प्रदर्शनी 1 से 3 के रूप में चिह्नित किया गया है।

21. इसके अलावा, पीडब्लू. 1 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता उसके खिलाफ गलत कार्य करने के लिए उसे तालाब और बरगद के पेड़ के पास बुलाता था, लेकिन दोनों स्थानों को सार्वजनिक स्थान कहा जाता है। पीड़ित द्वारा कोई विशिष्ट तिथि या दिन नहीं बताए गए थे। यह पीड़ित/पीडब्लू. 1 की विशिष्ट स्वीकारोक्ति भी है कि अपीलार्थी विवाह के लिए सहमत नहीं हुआ और इसलिए शिकायत की गई। उसके

साक्ष्य से आगे पता चलता है कि 22 फरवरी 2020 को उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी उम्र लगभग एक साल थी। पी. डब्ल्यू. 2 ने केवल यह गवाही दी कि उसने पीड़ित पर एक बच्चे की अभार देखी और जब पीड़ित से पूछताछ की गई, तो पीड़ित ने अपीलार्थी के नाम का खुलासा किया। इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पीड़ित ने अपनी सहमति से अपीलार्थी के साथ यौन संबंध बनाए थे। इसके अलावा, अभियुक्तों के पास बचाव पक्ष के सबूत भी हैं। डी. डब्ल्यू. 1 ने अदालत के समक्ष गवाही दी कि पीड़ित की मां का आरोपी के पिता के साथ विवाद था और आगे अपीलार्थी अपने चाचा के साथ दिल्ली में रहता था।

22. अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, अपीलार्थी ने **मुख्तियार अहमद अंसारी बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)** जिसे (2005) 5 एस सी सी 258 में प्रतिवेदित किया है, जिसमें विद्वान वकील ने पैराग्राफ 29 से 31 पर भरोसा किया है। जो इस प्रकार हैं:

“29. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह भी आग्रह किया कि यह अभियोजन पक्ष का मामला था कि पुलिस ने वेद प्रकाश गोयल से एक मारुति कार की मांग की थी। वेद प्रकाश गोयल से इस मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पीडब्लू 1 के रूप में पूछताछ की गई थी। हालाँकि, उन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने कभी भी पीडब्लू 1 को "शत्रुतापूर्ण" घोषित नहीं किया। उसके साक्ष्य अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करते थे। इसके बजाय, इसने बचाव का समर्थन किया। अतः अभियुक्त उसके सबूत पर भरोसा कर सकता है।

30. राजा राम बनाम राजस्थान राज्य, जे. टी. (2000) 7 एस. सी. 549 में इसी तरह का एक प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। उस मामले में, अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जाँच किए गए डॉक्टर के

साक्ष्य से पता चला कि मृतक को एक के द्वारा कहा जा रहा था कि उसे आरोपी को फंसाना चाहिए अपना उसे अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर को "शत्रुतापूर्ण" घोषित नहीं किया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बचाव पक्ष के लिए डॉक्टर के साक्ष्य पर भरोसा करना खुला है और यह अभियोजन पक्ष पर बाध्यकारी है।

31. वर्तमान मामले में, पीडब्लू 1 वेद प्रकाश गोयल के साक्ष्य ने अभियोजन पक्ष की उत्पत्ति को नष्ट कर दिया कि उन्होंने अपनी मारुति कार पुलिस को दी थी जिसमें पुलिस बहाई मंदिर गई थी और आरोपी को गिरफ्तार किया था। जब गोयल ने उस मामले का समर्थन नहीं किया, तो आरोपी उस सबूत पर भरोसा कर सकता है।

23. राजा राम बनाम राजस्थान राज्य में रिपोर्ट किया गया (2005) 5 एस. सी. सी.

272 जिसमें विद्वान वकील ने कंडिका संख्या 9 पर भरोसा किया है। जो इस प्रकार है:-

“9. लेकिन पीडब्लू 8 डॉ. सुखदेव सिंह, जो एक अन्य पड़ोसी हैं, की गवाही को अभियोजन पक्ष द्वारा आसानी से पार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में गवाही दी है कि उन्होंने पी. डब्ल्यू. 5 को मृतक को यह विश्वास दिलाते हुए देखा कि जब तक वह अपीलार्थी और उसके माता-पिता पर दोष नहीं डालती, उसे अभियोजन कार्यवाही जैसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। निचली अदालत में लोक अभियोजक के लिए ऐसा नहीं हुआ कि वह केवल ज्ञात कारणों से पी. डब्ल्यू. 8 को शत्रुतापूर्ण गवाह के रूप में सुनने (एस. आई. सी. घोषित करने) के लिए अदालत की अनुमति ले। अब, जैसा कि है, पीडब्लू 8 का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए बाध्यकारी है।

पी. डब्ल्यू. 8 की गवाही को कैसे दरकिनार किया जा सकता है, इसके बारे में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निश्चित रूप से कोई कारण, किसी भी अच्छे कारण से कम नहीं कहा गया है।

24. जावेद मसूद और एक अन्न बनाम राजस्थान राज्य ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 979 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें विद्वान वकील ने पैराग्राफ 10, 11, 14 और 15, पर भरोसा किया है इस प्रकार हैं:

“10. अयूब भाई (पीडब्लू-6) का साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। यह उनके साक्ष्य में है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मृतक अकेला मोटरसाइकिल पर लगभग 12.30 शाम को अपने पुराने ऋण को चुकाने के लिए अपनी दुकान पर आया था। मृतक ने ऋण के आधार पर कुछ और टायरों की बिक्री का अनुरोध किया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। इस संबंध में लगभग 15 मिनट तक बातचीत हुई। जब मृतक दुकान में बैठा था तो वह दुकान के तहखाने में गया और पाया कि मृतक के अनुरोध पर बेचने के लिए कोई पुराने टायर उपलब्ध थे और जब वह दुकान पर लौटा तो मृतक दुकान में नहीं मिला। फिर उन्होंने अपनी दुकान के समानांतर सड़क पर भीड़ देखी और यह जानने के लिए उस स्थान पर गए कि क्या हुआ और पाया कि मृतक गिरा हुआ पूरी तरह से खून से लथपथ पड़ा था। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। 5-10 मिनटों के भीतर पुलिस जिप्सी में आई और शव को जिप्सी में अस्पताल ले गई। उनके साक्ष्य में विशेष रूप से कहा गया है कि पीडब्लू-5-चुट्टू, जो कोई और नहीं बल्कि मृतक का भाई है, शव को हटाने के 10 मिनट बाद स्थान पर आया और उससे घटना के बारे में पूछताछ की और उसने बताया कि पुलिस उसे अस्पताल ले गई। उन्होंने अपने साक्ष्य में यह भी कहा कि उन्होंने पुलिस

को किसी भी व्यक्ति के नाम नहीं दिए हैं जितना कि उन्होंने घटना की वास्तविक घटना को नहीं देखा है। यह उनके साक्ष्य में भी है कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने हबीब को फोन किया और चुट्टू को घटना के बारे में संदेश देने का अनुरोध किया। उन्होंने बार-बार कहा कि चुट्टू (पीडब्लू-5), 08-11-2023 नूर (पीडब्लू-13), सलीम (पीडब्लू-7) और रईस (पीडब्लू-14) उस समय मौजूद नहीं थे जब पुलिस ने मुल्लाजी (मृतक) के शव को जिप्सी में रखा था। उन्होंने यह भी समझाया कि अगर वे घटना स्थल पर मौजूद थे तो उन्हें कोई टेलीफोन संदेश भेजने की आवश्यकता नहीं थी। इस गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष द्वारा उनसे कोई जिरह नहीं की गई। उनके साक्ष्य अप्रमाणित रहे।

11.नूर (पीडब्लू-13) और रईस (पीडब्लू-14) का साक्ष्य कमोबेश पीडब्लू-5 के समान है और इसलिए उनके साक्ष्य के बारे में कोई विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

14.उक्त निर्णय में वर्णित कानून का प्रस्ताव हाथ में तथ्यों पर समान रूप से लागू होता है।

15. यह स्पष्ट है कि पीडब्लू-6 का साक्ष्य अपराध स्थल पर चुट्टू (पीडब्लू-5) की उपस्थिति को पूरी तरह से खारिज करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पीडब्लू-5 सच नहीं बोल रहा था, इच्छुक गवाह होने के नाते स्पष्ट रूप से पिछली शत्रुता के कारण मामले में अपीलार्थी को फंसाने का प्रयास किया। यह ध्यान दिया जाए कि पूरा अभियोजन मामला परचा बयान (प्रदर्श. पी12) पर निर्भर है जो पीडब्लू-5 द्वारा दर्ज किया गया। एक बार जब उसकी उपस्थिति पर विश्वास नहीं किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष का पूरा

मामला ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। इसके अलावा, पीडब्लू 18,29 और 30 के साक्ष्य, जो सभी स्वतंत्रता गवाह हैं, अपराध स्थल पर उनकी उपस्थिति के संबंध में पीडब्लू 5,13 और 14 के साक्ष्य पर भी गंभीर रुपरेखा डालते हैं। उन परिस्थितियों में, हमें पीडब्लू-5 के साक्ष्य पर कोई भी भरोसा करना मुश्किल और असंभव लगता है, जो एक अत्यधिक रुचि रखने वाला और पक्षपातपूर्ण गवाह है। उनके साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है जिससे भा.द.सिं. की धारा 302 के तहत अपीलार्थी पर दोषसिद्धि का आरोप लगाया जा सके। इन्हीं कारणों से, पीडब्लू 13 और 14 के साक्ष्य को भी खारिज किया जाना है। उनमें से कोई भी सच नहीं बोल रहा था। .

25. पी. डब्ल्यू. 6 के साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि पी. डब्ल्यू. 2 और आरोपी के पिता के बीच विवाद थे, पी. डब्ल्यू. 2 अभियुक्त के खिलाफ मामला पसंद किया।

26. सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त सभी उद्धरण वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू होते हैं। अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का यह विशिष्ट तर्क है कि हालाँकि गवाहों को शत्रुतापूर्ण घोषित नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने अपीलार्थी के मामले का समर्थन किया, इसलिए, अपीलार्थी की बेगुनाही साबित करने के लिए उक्त गवाह यानी पी. डब्ल्यू. 6 के साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए।

27. इसके अलावा विद्वान वकील ने भी **मानक चंद उर्फ मनि बनाम हरियाणा राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जिसमें विद्वान वकील ने पैराग्राफ सं 5 एवं 6 पर भरोसा किया जो इस प्रकार हैं:

“9. इस न्यायालय ने बिराद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित (1988) सप्लीमेंट एस. सी. सी. 604 मामले में कहा था कि स्कूल के

रजिस्टर में जन्म तिथि का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं होगा, जब तक कि प्रवेश करने वाले व्यक्ति या जन्म तिथि देने वाले व्यक्ति की गवाही न हो।

“14. ...विद्वान के रजिस्टर में उल्लिखित जन्म तिथि का कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं है जब तक कि प्रविष्टि करने वाले या जन्म तिथि देने वाले व्यक्ति की जांच नहीं की जाती है। प्रवेश प्रपत्र में या विद्वान का रजिस्टर माता-पिता या संबंधित व्यक्ति की जन्म तिथि के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बनाया जाना चाहिए। यदि जन्म तिथि के संबंध में विद्वान के रजिस्टर में प्रविष्टि माता-पिता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की जाती है, तो प्रविष्टि का प्रमाणिक मूल्य होगा, लेकिन यदि यह किसी अजनबी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई है, जिसे जन्म तिथि की कोई विशेष जानकारी नहीं थी, तो ऐसी प्रविष्टि का कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं होगा। .

हमारी राय में, अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजक की आयु के संबंध में स्कूल रजिस्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया प्रमाण इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था कि अभियोजक की आयु सोलह वर्ष से कम थी, विशेष रूप से जब अभियोजक की आयु के बारे में विचारण न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी साक्ष्य थे। अभियुक्त को दोषी ठहराना न तो सुरक्षित था और न ही उचित, विशेष रूप से जब अभियोजक की उम्र मामले में इतना महत्वपूर्ण कारक था।

दूसरा, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि चूंकि वर्तमान मामले में उम्र इतना महत्वपूर्ण कारक था, इसलिए अभियोजन पक्ष को

अभियोजक की उम्र के निर्धारण के लिए अस्थि अस्थिविकाव परीक्षण करना चाहिए था। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है। दूसरी ओर, अभियोजक की नैदानिक जांच के अनुसार जो पीडब्लू-1, डॉ. कुलविंदर कौर द्वारा 28.10.2000 को की गई थी और जिसका उल्लेख वर्तमान फैसले के पिछले पैराग्राफ में भी किया गया है, हम पाते हैं कि अभियोजक की गौण लिंग विशेषताएँ अच्छी तरह से विकसित थीं। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि अभियोजक एक "अच्छी तरह से निर्मित वयस्क महिला" है। एक अन्य स्थान पर यह उल्लेख किया गया है कि "अच्छी तरह से विकसित जघन बाल" और "बाहरी जननांग पूरी तरह से विकसित और सामान्य थे"। यह तब उसकी उम्र को सोलह वर्ष के रूप में दर्ज करता है जैसा कि अभियोजक की माँ ने उसे बताया था। रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि उसके स्तन, गर्दन पर चेहरा, पेट और जांघ पर चोट के बाहरी निशान नहीं थे। रिपोर्ट तब निष्कर्ष निकालती है, अन्य बातों के साथ-साथ, उसकी उम्र के बारे में निम्नानुसार:

“रोगी की चिकित्सीय जांच के समय, उसके खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं किया गया प्रतीत होता है। मैं रोगी की उम्र के बारे में उसके जघन बाल और जननांग आदि के विकास के आधार पर राय नहीं दे सकता। रोगी को यौन संभोग करने की आदत थी क्योंकि उसकी लैबिया मिनोरा हाइपरट्रोफाइड थी और हाइमेन ने दो उंगलियों को भर्ती किया था। .

डॉक्टर ने उम्र के बारे में खुद राय देने से परहेज किया है, लेकिन उसी रिपोर्ट में उम्र सोलह साल दर्ज की गई है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों

के तहत, अभियोजक की उम्र के बारे में कुछ विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हड्डी के अस्थिकरण परीक्षण की आवश्यकता थी। जाहिर है कि ऐसा नहीं किया गया है। इसके अलावा, यह भी सबूत में आया है कि अभियोजक की मां ने भी कहा था कि उनकी बेटी सोलह साल की थी। .

28. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजक का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, इसलिए दोषसिद्धि कायम नहीं रहती है।

29. पी. डब्ल्यू. 3 द्वारा डी. एन. ए. परीक्षण करने के लिए किए गए विशिष्ट अवलोकन के बावजूद, अभियोजन पक्ष ने अपराध को अभियुक्त के साथ जोड़ने के लिए पीड़ित से पैदा हुए बच्चे का कोई डी. एन. ए. परीक्षण नहीं किया है। इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पीड़ित के खिलाफ यौन अपराध किया है।

30. उपरोक्त चर्चा के अनुसार, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं लगता है और घटना का तरीका ही संदिग्ध है। कोई सबूत नहीं है और अभियोजन पक्ष पीड़ित की उम्र 18 वर्ष से कम स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है, और यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत नहीं है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करना सुरक्षित नहीं है और अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है। इसलिए, निचली अदालत की दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार किया जा सकता है।

31. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता संदेह के लाभ का हकदार है और इसलिए उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

32. तदनुसार, 2019 के जेहानाबाद (महिला) थाना मामले संख्या 46 से उत्पन्न 2019 के पाँक्सो मामले संख्या 50 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश VI-सह-विशेष न्यायाधीश पाँक्सो, जेहानाबाद द्वारा पारित दोषसिद्धि का विवादित निर्णय और सजा का आदेश को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

33. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है।

34. अपीलार्थी सुबीर कुमार उर्फ चोटिया हिरासत में है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

(गुन्नू अनुपमा चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति)

चक्रधारी शरण सिंह, न्यायमूर्ति- मैं सहमत हूँ।

(चक्रधारी शरण सिंह, न्यायमूर्ति)

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।